लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 62/2017

श्रीमति जमना देवी पत्नी श्री रामस्वरूप बैरागी जाति वैष्णव निवासी ग्राम काकनियावास तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी जाटिया हिल्स, दातानगर, जिला अजमेर।

.....प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री एन.एस. राजावत, वकील प्रार्थिया की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 14.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वारा 2017'' का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थिया द्वारा ग्राम काकनियावास तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 376/1 रकबा 15 बीघा भूमि बाबत् नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 23.06.2016 के विरूद्व अपील संख्या 186/2016 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय द्वारा बाद विधिवत सुनवाई के अपने आदेश दिनांक 03.02.2017 से अपील निरस्त की गई। प्रार्थिया द्वारा उक्त आदेश के पुर्नविचार हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किया गया व न्यायालय की मूल पत्रावली अपील संख्या 186/2016 निर्णय दिनांक 03.02.2017 तलब की गई, तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 में मुख्य आधार श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामकरण का स्वर्गवास होकर कोई जायन्दा विधिक वारिसान नहीं होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना लिया है जबकि मूल अपील के साथ संलग्न नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 23.06.2016 में ही स्वयं राजस्व ऐजेन्सी द्वारा नामान्तरकरण से श्री भंवरलाल को नाऔलाद फौत होना अंकित किया

Scanned by CamScanner

है। ऐसी स्थिति में जो तथ्य स्वयं ही अपील अन्तर्गत आदेश दिनांक 23.06.2016 से सिद्व हो चुका था, उस तथ्य को मृतक से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सिद्व किया जाना प्रार्थिया के लिए शेष नहीं रहा। वकील प्रार्थिया ने आगे कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.02.2017 पारित किये जाने में द्वितीय मुख्य आधार प्रार्थिया द्वारा विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होकर स्थगन आदेश प्राप्त किया जाना उल्लेखित किया है जबकि प्रार्थिया द्वारा नियमित वाद केवल मात्र अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें खातेदारी घोषणा एवं अन्य किसी अनुतोष के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नियमित वाद के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन एवं विश्लेषण पत्रावली पर दर्शित प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है। वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थिया के अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर पूर्णतया सिद्व कर दिये गये, उक्त समस्त विधिक आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा न तो किसी प्रकार का गौर किया गया तथा न ही इस संबंध में अपना कोई विवेचन एवं विश्लेषण ही आदेश दिनांक 03.02.2017 में उल्लेखित किया गया। प्रार्थिया के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत लगभग 10 न्यायिक दृष्टांतों में से केवल मात्र एक न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया गया शेष न्यायिक दृष्टातों का उल्लेख ही नहीं किया गया तथा जिस न्यायिक दृष्टांत एवं विधिक आधार का उल्लेख किया गया उसके संबंध में लागू होने अथवा नहीं होने बाबत् किसी भी प्रकार का कोई विवेचन व विश्लेषण नहीं किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा एक प्रकार से राजस्व ऐजेन्सी को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अविधिक कृत्य किये जाने का प्रोत्साहन प्रदान करते हुए सदभाविक पक्षकार जो कि न्याय के लिए उपस्थित हुआ है, को न्याय से वंचित किया गया है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर विधिवत नवीन रूप से निर्णय पारित किए जाने हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को प्रति प्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन झूठे एवं बेबुनियाद है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.02.2017 में समस्त तथ्यों पर विस्तृत व्याख्या करने के साथ ही Findings प्रत्येक बिन्दु पर दी है। पंजीकृत दस्तावेज रेकार्ड पर है। विवादित भूमि का विक्रय प्रार्थिया द्वारा स्वयं किया गया है। प्रार्थिया द्वारा जिस नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है उन्हें पक्षकार ही मुर्तिब नहीं किया गया है। पैरोकार सरकार ने आगे कथन किया कि जब नियमित वाद विचाराधीन है तो सक्षम न्यायालय से ही उन्हें अनुतोष प्राप्त हो सकता है। नजरसानी के माध्यम से पुनः मेरिट पर बहस नहीं की जा सकती। नजरसानीधीन निर्णय में केवल प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली त्रुटि पर ही पुनः निर्णय किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1999 पेज 502 एवं आर.आर.डी. 14.06.2016 पेज 297 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

Scanned by CamScanner

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। नजरसानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है, इसके माध्यम से केवल किसी प्रकार की त्रुटि या अपील के निर्णय में कोई तथ्य उजागर होने से रह गये हो तो ही नजरसानी के माध्यम से त्रुटि दूर की जा सकती है। न्यायालय द्वारा अपील संख्या 186/2016 निर्णय दिनांक 03.02.2017 विधि के प्रावधान के तहत पारित किया गया है। विद्वान प्रार्थिया अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी उनकी कोई मदद नहीं करता है। नजरसानीधीन निर्णय में कोई प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली त्रुटि तथा सारभूत त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner